प्रेस नोट दिनांक 09.06.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना साइबर थाना जनपद प्रतापगढ़।

साइबर थाना प्रतापगढ़ की बड़ी कार्यवाही, बैंक केवाईसी के नाम पर ₹6.52 लाख की ठगी करने वाला शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार-

प्रतापगढ़:
जनपद के साइबर थाना पुलिस ने बैंक केवाईसी (KYC) अपडेट कराने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के मुख्य सदस्य को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त ने फर्जी ऐप और सिम कार्ड का उपयोग कर एक बैंक खाताधारक के साथ लाखों रुपये की धोखाधड़ी की थी।

घटना का संक्षिप्त विवरण
वादी (निवासी अष्टभुजा नगर, प्रतापगढ़) ने शिकायत दर्ज कराई थी कि दिनांक 08.12.2025 को उन्हें एक अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने स्वयं को बैंक अधिकारी बताकर केवाईसी अपडेट न होने पर खाता बंद होने की धमकी दी। ठग ने व्हाट्सएप के माध्यम से पीएनबी (PNB) की एक फर्जी एपीके (APK) फाइल भेजकर वादी से व्यक्तिगत विवरण भरवा लिया। इसके बाद, 09.12.2025 को वादी के खाते से कुल ₹6,52,401.29 की धनराशि अवैध रूप से अन्य खातों में ट्रांसफर कर ली गई।

इस मामले में साइबर थाना प्रतापगढ़ में मु0अ0सं0 48/2025 के तहत विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त ने किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर फर्जी सिम कार्ड लेकर उसे अपने बैंक खाते से लिंक किया था और इसी के माध्यम से पूरे फ्रॉड को अंजाम दिया।

विवेचना में मिली ठोस साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने उक्त अभियोग में धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 112(2), 340(2) बीएनएस व 66(C), 66(D) आईटी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी लिंक/ऐप के जरिए लोगों को झांसे में लेता था। उसने फर्जी दस्तावेजों (आधार कार्ड आदि) के जरिए दूसरे के नाम पर सिम कार्ड प्राप्त किए और उन्हें अपने बैंक खातों से लिंक कर अवैध धनराशि को ट्रांजेक्शन के जरिए हड़प लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
सुरेन्द्र नट पुत्र श्री नसीब नट वर्तमान पता नजदीक हाईस्कूल ब्रहमपुर बरहानपुर, थाना ब्रह्मपुर जिला बक्सर, बिहार पिन 802112 मो0 नं0 9065337151 उम्र 40 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, हे0का0 नीरज कुमार, आरक्षी पंकज पाल, आरक्षी हर्षदीप सिह साइबर थाना प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा "हत्या व हत्या के प्रयास" के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त बबलू गौतम को किया गया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाठी/डंडा बरामद-

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत पूरे अमान भोजपुर व रामगंज मोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ़।
वादिनी निवासी ग्राम पुरे अमन भोजपुर, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 06.06.2026 को वह एवं उनके परिजन घर के सामने बैठे थे, तभी बबलू पुत्र शिवपूजन, दिनेश पुत्र ननकू, बबलू की बहन एवं 3-4 अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हाथ में लाठी-डंडा एवं रॉड लेकर गाली-गलौज करते हुए वादिनी एवं परिजनों पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया, जिसमें 01 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वादिनी के अनुसार पूर्व विवाद के चलते आरोपियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गई। गंभीर रुप से घायल व्यक्ति की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना सांगीपुर में मु0अ0सं0 122/2026 धारा 191 (2)/115 (2)/352/351 (3)/131/109(1)/103 (1) बीएनएस थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण/ नेतृत्व में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री गौरव त्रिवेदी मय हमराह का0 सुनील दुबे, रि0का0 राम किशन, रि0म0का0 सबिहा फातिमा मय चालक का0 देवेन्द्र सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध/ वाहन,तलाश वांछित वारण्टी, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 122/2026 धारा 191 (2)/115 (2)/352/351 (3)/131/109(1)/103 (1) बीएनएस थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त बबलू गौतम पुत्र शिवपूजन निवासी ग्राम पूरे अमान भोजपुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाठी/डंडा बरामद के साथ थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत पूरे अमान भोजपुर व रामगंज मोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. बबलू गौतम पुत्र शिवपूजन निवासी ग्राम पूरे अमान भोजपुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी-
घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाठी/डंडा बरामद

पुलिस टीम का विवरण-
थाना प्रभारी सांगीपुर श्री गौरव त्रिवेदी मय हमराह का0 सुनील दुबे, रि0का0 राम किशन, रि0म0का0 सबिहा फातिमा मय चालक का0 देवेन्द्र सिंह थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस की कार्यवाही: मंदिर में दर्शन के दौरान महिला की सोने की चेन चोरी करने वाली 02 महिला अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना सांगीपुर द्वारा चोरी के अभियोग से संबंधित 02 महिला अभियुक्त, को क्षेत्रान्तर्गत घुइसरनाथ नदी पुल के पास सांगीपुर लालगंज अझारा मार्ग से चोरी जेवरात की बिक्री से प्राप्त 2000/- (दो हजार रुपये) के साथ गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।
वादिनी निवासी ग्राम बेल्हा देवी, सदर बाजार, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 08.06.2026 को वह अपने भाई एवं अन्य परिजनों के साथ बाबा घुघरशरनाथ धाम दर्शन हेतु गई थीं। दर्शन के दौरान मंदिर की सीढ़ियों से मुख्य मंदिर की ओर जाते समय भीड़ में 5-6 अज्ञात महिलाओं द्वारा धक्का-मुक्की करते हुए वादिनी के गले से सोने की चेन एवं लाकेट काटकर चोरी कर लिया गया। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सांगीपुर में मु0अ0सं0 125/2026 धारा 303(2), 61 (2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री गौरव त्रिवेदी के नेतृत्व में उ0नि0 हरीन्द कुमार यादव मय हमराह का बौद्धप्रकाश, रि0का0 कुरनाल कुमार, रि0म0का0 प्रियंका पटेल, रि0म0 का0 अंकिता मौर्या द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध/वाहन,तलाश वांछित वारण्टी, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 125/2026 धारा 303(2), 61 (2) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्ता, 01. रेखा उर्फ माधुरी पत्नी स्व0 करन पुत्री तुफानी निवासी चिरईगांव थाना कोतवाली जौनपुर जनपद जौनपुर उम्र करीब 35 वर्ष, 02. सिंक उर्फ सुनैना पत्नी अभिषेक निवासी कठवा मोड़ थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर पुत्री रिंकु निवासी करंडा थाना नंदगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 25 वर्ष को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत घुइसरनाथ नदी पुल के पास सांगीपुर लालगंज अझारा मार्ग से चोरी जेवरात की बिक्री से प्राप्त 2000/- (दो हजार रुपये) के साथ गिरफ्तार किया गया।

दोनों अभियुक्ता के कब्जे से चोरी जेवरात की बिक्री से प्राप्त 2000/- (दो हजार रुपये) बरामद की गई, उक्त बरामदगी के संबंध में अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ में दोनों अभियुक्ता ने बताया कि दिनांक 08.0602026 को बाबा घुइसरनाथ मंदिर में चोरी की गई जेबरात को हम लोग बेचने के लिए अपने साथी महिलाओं को देदिए है जिनका नाम पता हम लोगों को ज्ञात नहीं है उन्ही महिलाओं ने हम लोगो को एक-एक हजार रुपये दिया है, बाकी रुपये बाद में देने को कहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. रेखा उर्फ माधुरी पत्नी स्व0 करन पुत्री तुफानी निवासी चिरईगांव थाना कोतवाली जौनपुर जनपद जौनपुर उम्र करीब 35 वर्ष।
02. सिंक उर्फ सुनैना पत्नी अभिषेक निवासी कठवा मोड़ थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर पुत्री रिंकु निवासी करंडा थाना नंदगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी- चोरी जेवरात की बिक्री से प्राप्त 2000/- (दो हजार रुपये) बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 हरीन्द कुमार यादव मय हमराह का बौद्धप्रकाश, रि0का0 कुरनाल कुमार, रि0म0का0 प्रियंका पटेल, रि0म0 का0 अंकिता मौर्या थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस की कार्यवाही: मोटरसाइकिल चोरी के 02 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी गई मोटरसाइकिल बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना सांगीपुर द्वारा चोरी के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों, अमित पाण्डेय, शुभम सिंह को क्षेत्रान्तर्गत नौगीर मोड़ के पास से 01 अदद बजाज प्लैटिना मोटर साईकिल के साथ गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।
वादी निवासी ग्राम देवरी, पोस्ट अठेहा, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि वह सांगीपुर मार्केट स्थित दिव्या ट्रेडर्स के बगल अपनी मोटरसाइकिल प्लेटिना 100 सी.सी. वाहन संख्या UP72BZ4728 खड़ी कर आवश्यक कार्य से गया था। वापस लौटने पर उक्त मोटरसाइकिल तथा उसमें लगा हेलमेट मौके से अज्ञात व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा चोरी किया जाना पाया गया। इस संबंध में थाना सांगीपुर में मु0अ0सं0 121/2026 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री गौरव त्रिवेदी के नेतृत्व में उ0नि0 आदित्य पाण्डेय मय हमराह का0 मुकुल अग्रे, का0 अजय चौहान, रि0का0 अमित कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध/वाहन,तलाश वांछित वारण्टी, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 121/2026 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों, 01. अमित पाण्डेय पुत्र लालजी पाण्डेय नि० ग्राम लखहरा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 30 वर्ष, 02. शुभम सिंह पुत्र अयोध्या प्रसाद सिंह निवासी ग्राम कुसौली थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत नौगीर मोड़ के पास से 01 अदद बजाज प्लैटिना मोटर साईकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद बजाज प्लैटिना मोटर साईकिल बरामद की गई, जिसके संबंध में उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) की बढोत्तरी की गई।

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया हम दोनों ने दो दिन पहले गदियान मोड के पास से चोरी किया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01. अमित पाण्डेय पुत्र लालजी पाण्डेय नि० ग्राम लखहरा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 30 वर्ष।
02. शुभम सिंह पुत्र अयोध्या प्रसाद सिंह निवासी ग्राम कुसौली थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष

आपराधिक इतिहास-
01- अभियुक्त अमित पाण्डेय पुत्र लालजी पाण्डेय निवासी ग्राम लखहरा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 206/2013 धारा 302/506 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 121/2026 धारा 317(2)/303(2) बीएनएस थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 121/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

02- अभियुक्त शुभम सिंह पुत्र अयोध्या सिंह निवासी ग्राम कुसौली थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 121/2026 धारा 317(2)/303(2) बीएनएस थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 121/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- अदद बजाज प्लैटिना मोटर साईकिल बरामद।

पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 आदित्य पाण्डेय मय हमराह का0 मुकुल अग्रे, का0 अजय चौहान, रि0का0 अमित कुमार थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अपहरण एवं अवैध धर्म परिवर्तन से संबंधित अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, पीड़िता सकुशल बरामद-

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त मुजाइद अली को थाना क्षेत्रान्तर्गत कालाकांकर अण्डरपास भैरव बाबा के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी निवासी ग्राम दयालपुर लवाना, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना नवाबगंज पर सूचना दी गई कि दिनांक 03.06.2026 की रात्रि में परिवार के सभी सदस्य भोजन कर सो गए थे। अगले दिन प्रातः उनकी पुत्री घर पर नहीं मिली। परिजनों द्वारा खोजबीन करने पर ज्ञात हुआ कि उसी गांव का निवासी मुजाइद अली पुत्र जाबिर उनकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। काफी तलाश के बावजूद पुत्री का कोई पता न चलने पर वादी द्वारा थाना नवाबगंज पर तहरीर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज में मु0अ0सं0 84/2026, धारा 87 बीएनएस बनाम मुजाइद अली पुत्र जाबिर निवासी दयालपुर लवाना थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी नवाबगंज श्री संतोष सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 विनय वर्मा मय हमराह का० उपेन्द्र सिंह, का0 नितेश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 84/2026 धारा 87 बीएनएस व बढोत्तरी धारा 318 (4)/338/336 (3) बीएनएस व धारा 8 (2) उ0प्र0 विधि विरुद्ध संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 से संबंधित अभियुक्त मुजाइद अली पुत्र स्व0 जाबिर निवासी दयालपुर लवाना थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 23 वर्ष को थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत कालाकांकर अण्डरपास भैरव बाबा के पास से एक अदद ई-स्टाम्प निकाह का अनुबन्ध/ निकाहनामा के साथ गिरफ्तार किया गया । स्थानीय पुलिस द्वारा पीड़िता का सकुशल बरामद किया गया है । अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी व साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-318(4), 338, 336(3) बीएनएस व धारा-8(2) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 2021 की बढोत्तरी की गई है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. मुजाइद अली पुत्र स्व0 जाबिर निवासी दयालपुर लवाना थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 23 वर्ष ।

बरामदगी-एक अदद ई स्टाम्प निकाह का अनुबन्ध/निकाहनामा बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-उ0नि0 विनय वर्मा मय हमराह का० उपेन्द्र सिंह, का0 नितेश यादव थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लालगंज के उ0नि0 राम नरेश यादव मय हमराह का0 नीरज कुमार, रि0का0 अमरेश यादव, रि0म0का0 पूजा सिंह के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर मु0न0 3704/20 अ0सं0 60/94 धारा 427,435,504 भादवि थाना लालगंज जनपद

प्रतापगढ़ से संबंधित वारण्टी अशोक कुमार उर्फ रामकृपाल पुत्र रामललन नि० ग्राम पूरे पाठक का पुराव अझारा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ व मु0न0 3037/20 अ0सं0 328/99 धारा 457,380 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वारण्टी भुट्टो उर्फ इस्माइल पुत्र हकीम निवासी ग्राम तकिया खानापट्टी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. अशोक कुमार उर्फ रामकृपाल पुत्र रामललन नि० ग्राम पूरे पाठक का पुराव अझारा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
2. भुट्टो उर्फ इस्माइल पुत्र हकीम निवासी ग्राम तकिया खानापट्टी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-उ0नि0 राम नरेश यादव मय हमराह का0 नीरज कुमार, रि0का0 अमरेश यादव, रि0म0का0 पूजा सिंह थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़

थाना हथिगवां पुलिस द्वारा कुल 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना हथिगवां के उ0नि0 विवेक पाण्डेय मय हमराह का0 पवन कुमार, रि0का0 दीपक कुमार व रि0का0 मंजीत कुमार के द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान,

मा0 न्यायालय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन)कोर्ट नं 23 मु0नं0 2108/2014 राज्य बनाम जियाराम आदि (सम्बन्धित मु0अ0स0 78/1995 अन्तर्गत धारा 147/323/504/336 भादवि थाना हथिगवा जनपद प्रतापगढ़) से संबंधित 03 वारंटी अभियुक्तों, 1. सुकरु सरोज पुत्र चरण सरोज उम्र 75 वर्ष, 2. रामशिव उर्फ शिवराम पुत्र सुकर उम्र करीब 40 वर्ष, 3. दुःखी राम पुत्र राम तार उम्र करीब 53 वर्ष समस्त नि0गण शाहपुर थाना हथिगवां प्रतापगढ़ को ग्राम शाहपुर प्राईमरी स्कूल के सामने से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. सुकरु सरोज पुत्र चरण सरोज उम्र 75 वर्ष,
2. रामशिव उर्फ शिवराम पुत्र सुकर उम्र करीब 40 वर्ष,
3. दुःखी राम पुत्र राम तार उम्र करीब 53 वर्ष समस्त नि0गण शाहपुर थाना हथिगवां प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम- उ0नि0 विवेक पाण्डेय मय हमराह का0 पवन कुमार, रि0का0 दीपक कुमार व रि0का0 मंजीत कुमार थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ ।